IT 723
13.4

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मु0 जयपुर

क्रमांकः–एफ–4 / वित्त / संस्था / 2017 / 2284 दिनांकः–13/4/17

कार्यालय–आदेश

निगम की विभिन्न ईकाईयों में कार्यरत समस्त प्रबन्धक (वित्त) की दिनांक 24.04.2017 को प्रातः 10.00 बजे एक मिटिंग का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें वित्तीय समस्याओं के निराकरण, कर्मचारियों एवं विभिन्न फर्मों को दिये जाने वाले अग्रिम समायोजन, पेन्शन / सी.पी.एफ. के लम्बित प्रकरण, लम्बित अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा के निस्तारण इत्यादि विषय पर चर्चा की जावेगी। अतः समस्त प्रबन्धक (वित्त) संलग्न विवरण पत्र में अंकित सूचनाओं के साथ मिटिंग हॉल मुख्यालय में आवश्यक रूप से उपस्थित होवें।

संलग्नः–एक

(श्रीराम मीना)
महा प्रबन्धक (वित्त / संस्था)

क्रमांकः–एफ–4 / वित्त / संस्था / 2017 / 2284 दिनांकः– 13/4/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम मु0 जयपुर।
2– निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), रा.रा.प.प.निगम मु0 जयपुर।
3– निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, रा.रा.प.प.निगम मु0 जयपुर।
4– महा प्रबन्धक (क्रय–भण्डार / टायर), रा.रा.प.प.निगम जयपुर।
5– सचिव (निगम), रा.रा.प.प.निगम मु0 जयपुर।
6– उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) रापनि मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि इस आदेश को निगम वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7– संयुक्त महा प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम मु0 जयपुर।
8– उप महा प्रबन्धक (बजट), रा.रा.प.प.निगम मु0 जयपुर।
9– मुख्य उत्पादन प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक(वित्त) रा.रा.प.प.निगम ____________________।
10–कार्यकारी प्रबन्धक (जन सम्पर्क), रा.रा.प.प.निगम, मु0जयपुर।
11–आदेश पत्रावली।

(श्रीराम मीना)
महा प्रबन्धक (वित्त / संस्था)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मु0 जयपुर

दिनांक 24.04.17 को आयोजित मिटिंग में साथ लाई जाने वाली सूचनायें एवं विचार विमर्श के बिन्दु

1. जिन सेवानिवृत/सेवापृथक कर्मचारियों के विरूद्ध अंकेक्षण/भौतिक सत्यापन डीजल इत्यादि की कोई वसूली शेष है एवं उक्त कर्मचारियों से वसूली/भुगतान से समायोजन सम्भव नहीं है। उक्त वसूली को अपलेखन के लिये सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को भेजे गये प्रस्तावों की सूची साथ लावें।
2. चालकों एवं परिचालकों का अब तक बकाया अधिश्रम भत्ते के देयक/रिकार्ड अंकेक्षण शाखा को अंकेक्षण हेतु भिजवाये। साथ ही उक्त चालक परिचालकों के बकाया अधिश्रम भत्ते की सूची साथ लावें। सूची के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण बकाया नहीं है, का प्रमाण पत्र भी लावें। तत्पश्चात भी बकाया होने पर सम्बन्धित ईकाई प्रभारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
3. वित्त समीक्षा शाखा मुख्यालय द्वारा जारी पत्रांक 1411 दिनांक 15.03.17 (GLPI के सम्बंध में), पत्रांक 1455 दिनांक 16.03.17 (ETIM मशीनों के सम्बंध में), पत्रांक 1553 दिनांक 22.03.17 (Trimax द्वारा उपलब्ध करवाये गये Hardware के सम्बंध में), एवं पत्रांक 2068 दिनांक 03.04.17 (Hired बसों के सम्बंध में) की सुचनायें साथ लावें।
4. कर्मचारियों के विरूद्ध बकाया चल रहे अग्रिम का विवरण पत्र मय वर्ष में किये गये समायोजन सहित। संबंधित पंजिका भी साथ लावें।
5. विभिन्न फर्मों के विरूद्ध बकाया चल रहे अग्रिम का विवरण पत्र मय वर्ष में किये गये समायोजन सहित।
6. पुलिस, आबकारी, कारागार, MLA, MP, पत्रकार आदि से सम्बन्धित सूचना हर माह की 10 तारीख तक भिजवा दी जावे। यदि नहीं भिजवाई है तो वर्तमान माह तक की साथ लावे।
7. केन्टीन स्टालधारियों के विरूद्व बकाया की स्थिति। जिन प्रकरणों में वाद लम्बित है उनमें न्यायालय वाद की वर्तमान स्थिति भी साथ लावें। साथ ही केन्टीन वाईज साथ लावें।
8. ग्रीन कार्ड से बकाया की स्थिति एवं वसूली सहित विवरण पत्र।
9. पोस्टल मेल बकाया की स्थिति भी माहवार साथ लावें ।
10. राज्य सरकार एवं अन्य सरकारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाई वाहनों के बकाया की पूर्ण सूचना तथा वसूली के प्रयास।
11. बैंक समाधान/संकलन शाखा से सम्बन्धित सूचनाएं।
12. सेवानिवृत कर्मियों के बकाया पेन्शन प्रकरण एवं GPF Final Refund प्रकरण, CPF Final Refund, EPF पेन्शन योजना की स्थिति।
13. वर्षवार लम्बित आंतरिक अंकेक्षण/A.G. पैरा की स्थिति/पालना एवं बकाया वसूली की स्थिति (कोर्ट केस की स्थिति में सम्पूर्ण विवरण सहित सूची)
14. प्रत्येक माह के फण्ड मांग पत्र, बैंक शेष (पास–बुक एवं पुस्तकों के अनुसार) अंकित करते हुये प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में आवश्यक रूप से प्रेषित की जावें, ताकि वेतन, कर आदि के फण्ड समय पर प्रेषित किये जावे। फण्ड मांग पत्र में वास्तविक व्यय के आंकडे गणना कर सही प्रेषित किये जावे। प्रत्येक माह का वास्तविक विवरण भी आगामी माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित किये जावें। उक्त को सुनिश्चित करते हुये शेष रही सूचनायें साथ लावें।
15. CPF (भविष्य निधि) खाता संख्या आवंटन के लम्बित समस्त प्रकरणों की सूची एवं दस्तावेज।
16. Financial Analysis भी साथ लावें।
17. भौतिक सत्यापन के बकाया पैरा की स्थिति ।
18. वी.आई.पी. प्रकरणों की स्थिति।
19. दिनांक 01.01.12 एवं इसके बाद भर्ती कार्मिकों के निर्देशानुसार CPF खाते आवंटित करवाना तथा UAN आवंटित करने की वस्तुस्थिति एवं वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों (CPF holders) के UAN आवंटित करने की वस्तुस्थिति।
20. Employee Deposit Link Insurance (ई.डी.एल.आई.) योजना के अन्तर्गत बकाया बीमा दावों की सूची भी साथ लावें।
21. खर्चों पर नियन्त्रण एवं इनमें कमी के सकारात्मक सुझाव।
22. आगार स्तर पर टिकटें, सामान आदि की समुचित सुरक्षा व्यवस्था एवं नकारा सामान का समय पर निस्तारण।
23. बुकिंग घरों, टिकिट स्टोर, बैग शाखा तथा राजस्व संग्रहण पंजिकाओं आदि के नियमित निरीक्षण की स्थिति एवं तत्सम्बन्धी विचार विमर्श।

(श्रीराम मीना)
महा प्रबन्धक(वित्त/संस्था)